निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1935 (श0)

(सं0 पटना 212) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2014

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

10 जनवरी 2014

सं0 22 नि0 सि0(यॉ0)–04–01/2013/53––श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियन्ता (आई0डी0एम0–0393), सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, डिहरी के विरूद्ध सोन बराज इनद्रपुरी के गेटों का पुनर्स्थापन कार्य/विभागीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं आदेशों का उल्लंधन बरतने आदि आरोपों के लिए मुख्य, अभियन्ता (यां0) द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए साक्ष्य सहित निम्नांकित आरोप लागये गये :–

आरोप सं0 1 :–प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा दिनांक 22–23 सितम्बर 2011 भ्रमण–सह निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश के बावजूद सोन बराज, इन्द्रपुरी के गेटों के पुनर्स्थापन से संबंधित डी0पी0आर0/प्राक्कलन स–समय समर्पित नहीं करना एवं प्रधान सचिव के आदेश का उललंधन करना।

आरोप सं0 2 :–सोन बराज गेट के पुनर्स्थापन (यांत्रिक, विधुतीय एवं ऑटोमेशन तथा पेंटिंग) कार्य के अन्तर्गत सभी यांत्रिक कार्य को संबंधित संवेदक/फर्म द्वारा दुसरे संवेदक को सबलेट किये जाने की जानकारी उच्चाधिकारी को नहीं देना और संवेदक के साथ सहभागी होकर कार्य को विलंबित करना।

आरोप सं0 3 :–मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश तथा अनेको बार स्मारित किये जाने के बावजूद भी सोन बराज इन्द्रपुरी के गेटों का पुनरर्थापन कार्य संवेदक द्वारा एकरारनामा के वर्क शिट्यूल के अनुरूप काफी धीमी प्रगति पाये जाने पर भी उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाई नहीं करना एवं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करना।

आरोप सं0 4 :–विभागीय पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/812/2009–806 दिनांक 16.10.2012 द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद भी सोन–बराज गेट इन्द्रपुरी के गेटों का पुनर्स्थापन कार्य दिनांक 23.08.2012 से बिल्कुल ही बंद रहने पर भी संवेदक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना एवं विभागीय आदेश का उल्लंधन कर अनुशासनहीनता बरतना।

आरोप सं0 5 :–मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 3006 दिनांक 06.11.2012 द्वारा सोन बराज, गेट इन्द्रपुरी के गेटों का पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित एकरारनामा को विखंडित किये जाने का त्वरित अनुपालन नहीं कर इतने महत्वपूर्ण कार्य को लंबित रखना एंव अग्रेत्तर कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना उच्चाधिकारी के आदेश का स्पष्ट उल्लंधन करते हुए अनुशासनहीनता बरतना और अपने कर्त्तव्यों का भलीभांति निर्वहन नहीं करना।

आरोप सं0 6 :–सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मोहनियॉ के अतिरिक्त प्रभार में रहने के समय इनके द्वारा लरमा पम्प कैनाल में जले मोटर को ससमय क्रियाशील नहीं कराये जाने के फलस्वरूप सिंचाई कार्य में बाधा पहुॅचाना।

उक्त आरोपों के लिए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 33 दिनांक 13.03.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह द्वारा पत्रांक 291 दिनांक 02.04.2013 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई और आरोप सं0 (1), (2) एवं (3) को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों मे कोई वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप परिलक्षित नहीं होता है किन्तु सरकारी कार्य निष्पादन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने का प्रमाणित आरोपें के लिए श्री सिंह के विरूद्ध निम्न दंड देने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया :–

(1) एक वेतन वृद्धि पर दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दंड, श्री सिंह कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, डिहरी को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकरी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 212-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in